GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO : 7
(TO BE ANSWERED ON THE 29th November 2021)

MEDICAL BENEFITS FOR RETIRED EMPLOYEES

7. SMT PRIYANKA CHATURVEDI

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:-

(a) the current number of retired employees of Air India;

(b) the number of retired employees covered under retirement benefits, including medical facilities and insurance;

(c) the details of the medical benefits provided to the retired employees of Air India;

(d) whether it is a fact that a sum of Rs. 50,000 is charged upon retirement to fund their medical benefits;

(e) if so, the number of retired employees who failed to deposit Rs. 50,000 upon retirement to fund their medical benefits; and

(f) whether Government plans to cover the aforementioned uninsured retired employees under any medical insurance scheme to provide medical facilities?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(GEN. (DR) V. K. SINGH (RETD))

(a): The number of retired employees stands at 49700.

(b): The number of retired employees who have opted for the post-retirement medical scheme is around 29400.

(c): Air India inter-alia provides its retired employees and their spouses OPD facilities, medicines at company clinics/retainer doctors, referral to the specialists/super specialists/hospitals on the panel of the company on need basis, cashless hospitalization coverage. In case of emergency, there is also a provision wherein the retired employee can avail treatment through non-panel hospital for

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

which re-imbursement as per company rules is also considered.

On retirement, in case the retiring employee desires to avail post-retirement medical benefits, he/she has to make a lump sum contribution ranging from Rs. 20,000/- to Rs. 50,000/- depending on their respective category/grade.

(e): The Scheme is optional and data is being maintained only for the employees who have opted for the post-retirement medical benefit scheme.

(f): The Government is committed to provide medical facilities to the eligible retired employees of Air India.

*****

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या :**7**

दिनांक 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सीय लाभ

7. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है;
(ख) चिकित्सा सुविधा और बीमा सहित सेवानिवृत्त संबंधी लाभों के अंतर्गत कितने सेवानिवृत्त कर्मचारी कवर किए गए है;
(ग) एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किए गए चिकित्सीय लाभों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सीय लाभों के वित्तपोषण के लिए 50,000 रुपये की राशि वसूली जाती है;
(ड.) यदि हां, तो ऐसे कितने सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो उनके चिकित्सीय लाभों के वित्त पोषण के लिए सेवानिवृत्ति के समय 50,000 रुपये जमा कराने में विफल रहे; और
(च) क्या सरकार की उपर्युक्त अबीमाकृत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी चिकित्सीय बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने की योजना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या 49700 है।

(ख) सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा योजना अपनाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या लगभग 29400 है।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ एअर इंडिया अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके जीवनसाथी को ओपीडी सुविधाएं, कंपनी के क्लीनिकों/प्रतिधारित डॉक्टरों से दवाइयां, आवश्यकता आधार पर कंपनी के पैनल के अस्पतालों/स्पेशियलिस्टों/सुपर स्पेशियलिस्टों में रेफरल, बिना नकदी अस्पताल में भर्ती करने की सुविधा प्रदान करती है। आकस्मिकता की स्थिति में इसमें एक ऐसा प्रावधान भी मौजूद है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी गैर-पैनल अस्पताल से उपचार का लाभ उठा सकता है, जिसके लिए कंपनी के नियमों के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जाता है।

सेवानिवृत्ति पर, यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे अपनी संबंधित श्रेणी/ग्रेड के अनुसार 20000/- रुपये से 50,000/- रुपये की एकमुश्त राशि का योगदान करना होता है।

(ङ) यह योजना वैकल्पिक है तथा केवल उन्हीं कर्मचारियों के ऑकड़ों को संधारित किया जा रहा है, जिन्होंने सेवानिवृत्ति-उपरांत चिकित्सा लाभ योजना को अपनाया है।

(च) सरकार एअर इंडिया के योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के प्रति समर्पित है।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in